BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 06 नवम्बर, 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल उर्फ सैठी पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम बिलसूरी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.01.2013 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 58/13 धारा- 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.02.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 06-11-2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सरवर को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, श्री वरुण कोशिक व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर